# कार्यालय जिला पंचायत–गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

//विज्ञप्ति//

क्रमांक/5357/जि.प./जला. आबंटन/2017–18 गरियाबंद दिनांक 06/11/2017

**सिचांई जलाशय को मछली पालन एवं मत्स्याखेट हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर देने की सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के अधीनस्थ सिंचाई जलाशय को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत 10 वर्षीय पट्टे पर मछलीपालन हेतु आबंटन किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्र. | जलाशय का नाम | ग्राम का नाम | विकासखंड | रकबा (हे. में) | पट्टा अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आडपाथर सिंचाई जलाशय | आडपाथर | मैनपुर | 111.083 हेक्टेयर | 10 वर्ष |

**आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24/11/2017 को शाम 05 बजे तक।**

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (मछलीपालन विभाग) मंत्रालय रायपुर, आदेश क्रमांक/एफ–11/2/36/2002/985/मं रायपुर, दिनांक 24/03/2003 के अनुसार पट्टा आबंटन करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगाः–

1. पंजीकृत मछुआरा सहकारी समिति (सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद , केंवट, कहार, मल्लाह के पंजीकृत मछुआरा सहकारी समिति को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के मत्स्य सहकारी समितियों को प्राथमिकता) होगी। तदानुसार विकासखंड मैनपुर अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण अनुसूचित जनजाति की पंजीकृत मछुआरा सहकारी समितियों को अग्रमान्य क्रम में प्राथमिकता होगी।
2. मछुआ समूह।
3. मछुआ व्यक्ति।
4. ऐसे क्षेत्र जहां वर्ष 1965 या उसके पश्चात् मकान, भूमि आदि डूब जाने के कारण कोई परिवार विस्थापित हो गये हो ऐसे व्यक्ति/परिवारों या उनके समूह/समिति को संबंधित जलक्षेत्र के पट्टे पर दिये जाने हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
5. उपरोक्त चारों वर्गो यदि किसी ग्राम/क्षेत्र मे न हो तो स्व सहायता समुह।

वर्णित प्राथमिकता क्रय में जलाशय का आंबटन स्थानीय मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह, अथवा मछुआ व्यक्ति को आबंटित किया जावेगा। स्थानीय मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह, अथवा मछुआ व्यक्ति उपलब्ध न होने की दशा में समीपस्थ मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह, अथवा मछुआ व्यक्ति को आबंटित किया जावेगा। मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह, अथवा मछुआ व्यक्ति को ग्रामीण तालाब के मामलों में 0.50 हे. तथा सिंचाई जलाशय के मामले में 4.00 हे. प्रति सदस्य/व्यक्ति के मान से दिया जा सकेगा।

सिंचाई जलाशयों में लीज की समय सीमा 10 वर्ष होगी। तथा लीज अवधि समाप्त होने की तिथि 15 जून होगी। लीज राशि शासन के नियमानुसार तय की जावेगी और प्रारंभिक लीज राशि में प्रति 2 वर्षों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

सिंचाई जलाशयों को 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिया जावेगा जिसकी अनुमति नियमानुसार पंचायत अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अंतर्गत विहित प्राधिकारी (कलेक्टर) से प्राप्त की जावेगी।



Scanned by CamScanner

**आवेदन के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेजों की सूचीः–**

**6. पंजीकृत सहकारी समितिः–** पंजीयन प्रमाण पत्र, कार्यक्षेत्र प्रमाण पत्र बायलॉज, सदस्यों की सूची, समिति का प्रस्ताव/ठहराव एवं विगत वर्षो की आडिट रिपोर्ट।

**7. मछुआ समूह/एस.जी.एस.वाय.समूहः–** समूह का प्रस्ताव/ठहराव, गरीबी रेखा सर्वे प्रमाण पत्र, जाति/निवास प्रमाण पत्र।

**8. व्यक्तिगत हितग्राहीः–** गरीबी रेखा प्रमाण पत्र, जाति/निवास प्रमाण पत्र।

उपरोक्त आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला पंचायत गरियाबंद में दिनांक 24./11/2017 को शाम 5.00 बजे तक जमा कर सकते है। समय समाप्ति पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। सिंचाई जलाशय संबंधित नियमों की जानकारी जिला पंचायत गरियाबंद अथवा मछलीपालन विभाग गरियाबंद से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं।

Nandanwar

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–गरियाबंद

पृ.कमांक/6358/जि.प./जला. आबंटन/2017–18 गरियाबंद दिनांक 06/11/2017

प्रतिलिपि :–

1. माननीय सासंद महोदय, लोक सभा क्षेत्र महासमुंद क्षेत्रीय कार्यालय राजिम को सादर सूचनार्थ।
2. माननीय संसदीय सचिव एवं विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र बिन्द्रानवागढ़/प्रतिनिधि को सादर सूचनार्थ।
3. माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र राजिम/प्रतिनिधि को सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला गरियाबंद को सादर सूचनार्थ।
5. माननीय अध्यक्ष महोदया जिला पंचायत गरियाबंद को सादर सूचनार्थ।
6. माननीय उपाघ्यक्ष महोदय जिला पंचायत गरियाबंद को सादर सूचनार्थ।
7. माननीय सर्व सदस्य जिला पंचायत गरियाबंद को सादर सूचनार्थ।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरियाबंद/देवभोग को सूचनार्थ।
9. सहायक संचालक मछलीपालन विभाग जिला गरियाबंद को सादर सूचनार्थ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गरियाबंद/छुरा/फिंगेश्वर/मैनपुर/देवभोग को सूचनार्थ एवं जनपद पंचायत कार्यालय में प्रकाशन तथा प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत ............................ की ओर प्रेषित कर नोटिस की एक प्रति ग्राम पंचायत एवं आश्रित ग्रामों में चस्पा करने एवं कोटवारों द्वारा मुनादी कराने का कष्ट करें तथा मुनादी हुआ है का प्रमाण पत्र कोटवारों से प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Nandanwar

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–गरियाबंद



Scanned by CamScanner

# कार्यालय जिला पंचायत–गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

!! विज्ञप्ति !!

क्रमांक / 5361 / जि.पं. / जलाशय / 2017 गरियाबंद, दिनांक 06 / 11 / 2017

जिला पंचायत गरियाबंद के अधीनस्थ आड़पाथर जलाशय, औसत जलक्षेत्र हे. 111.00 (विकासखंड मैनपुर) को 10 वर्षीय पट्टे पर दिये जाने हेतु दिनांक 24 नवंबर 2017 सायं 05 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत गरियाबंद में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। जलाशय लीज से संबंधित पात्रता एवं शर्तें, प्राथमिकता कम इत्यादि का अवलोकन जिला गरियाबंद की वेबसाइट www.gariaband.gov.in तथा जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के सूचना पटल किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–गरियाबंद

Scanned by CamScanner